न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 75/2020
GCMS NO. : 2020/00241

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

वादी	प्रतिवादीगण
1. जयकरणसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति– राजपूत, निवासी– बिरोल, तहसील– जैतारण जिला– पाली(राज0)	1. तहसीलदार जैतारण जिला– पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू:.06/10/2020

उपस्थितः– 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, श्री किशोर कुमार कुमावत, अधिवक्ता, वादी।
2. सरकार पैरोकार राज, तहसीलदार जैतारण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः– 02/12/2021

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1956, के तहत् विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा बिरोल पटवार हल्का बिरोल तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे खसरा नम्बर 11 रकबा 16–16 बीघा किस्म बारानी दोयम, ख0नं0 13 रकबा 9–09 बीघा किस्म बारानी दोयम, ख0नं0 14 रकबा 07–03 बीघा किस्म बारानी दोयम, ख0नं0 15 रकबा 07–02 बीघा किस्म बारानी दोयम, ख0नं0 43 रकबा 05–06 बीघा किस्म बारानी दोयम, ख0नं0 48 रकबा 18–01 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 6 कुल रकबा 63 बीघा 17 बिस्वा व ख0नं0 47 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा आई हुई है। जिस पर वादी बिना किसी रोकटोक के शांतिपूर्वक तरीके से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 वादपत्र के साथ संलग्न है जिसे वादपत्र का एक भाग माना जावे। उक्त उक्त आराजी पूर्व में वादी पिता नाथूसिंह एवं उनके भाई जसवंतसिंह तथा वादी के दादा अमानसिंह के भाई हमीरसिंह एवं बाघसिंह की पत्नीया कमशः जडावकंवर पत्नी हमीरसिंह एवं बख्तावरकंवर पत्नी बाघसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज थी तथा वादी के दादा अमानसिंह के भाई हमीरसिंह व बाघसिंह [illegible] जाने से तथा उनके कोई जायन्दा पुत्र पुत्री नही होने से वादी के [illegible] सिंह व बाघसिंह की पत्नीया जडावकंवर व बख्तावरकंवर के फौत हो जाने के पश्चात [illegible] कोई जायन्दा पुत्र पुत्री नहीं होने से वादी के पिता नाथूसिंह [illegible] जसवंतसिंह ने पारिवारिक सेटलमेन्ट दिनांक 18/10/1979 को कर जडावकंवर पत्नी हमीरसिंह के 1/3 हक हिस्से की भूमि वादी के पिता नाथूसिंह के भाई जसवंतसिंह के हक हिस्से की रखी तथा बख्तावरकंवर पत्नी बाघसिंह के 1/3 हक हिस्से की उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण खसरा नम्बर व रकबा की भूमि वादी के हक हिस्से मे रखी गयी तथा पारिवारिक सेटलमेन्ट दिनांक 18/10/1979 के आधार पर नामान्तरण संख्या 405 दिनांक 09/12/1982 भरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:46:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

गया उस समय सहवन से वादी के घरेलू बोलचाल का नाम दौलतसिंह पुत्र बाघसिंह दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम एवं दस्तावेजी नाम जयकरणसिंह पुत्र नाथूसिंह जी है जो वादी के राजस्थान सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान कार्ड, बैंक डायरी, पेनकार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आदि मे भी वादी का नाम जयकरणसिंह पुत्र नाथूसिंह जी दर्ज है जो दस्तावेजात एवं पारिवारिक सेटलमेन्ट दिनांक 18/10/1979 की प्रति वादपत्र के साथ संलग्न है। जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। इस प्रकार वर्णित नामान्तरण के साथ दर्ज राजस्व रेकर्ड मानवीय त्रुटि व रोंग एन्ट्री हैं, जो आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में चल रही है तथा इस रोंग एन्ट्री की जानकारी दिनांक 03/09/2020 को होने पर पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर पता चला तो पटवारी हल्का ने उक्त रोंग एन्ट्री को न्यायालय से दुरस्त करवाने का कथन किया जिसके सम्बन्ध मे यादी पैतृक पुश्तैनी सम्पति मे उक्त रोंग एन्ट्री एवं रेकर्ड दुरूस्त करवाने के अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत घोषणा का विरुद्ध प्रतिवादी के पेश है। वादी का नाम जो राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज किया गया है, जिसको हटाने एवं राजस्व रेकर्ड मे वादी अपना सही व वास्तविक व दस्तावेजी नाम जयकरणसिंह पुत्र नाथूसिंह जी से दर्ज करने एवं इन्द्राज करवाने के अधिकारी वादी होने से उक्त वादपत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है। वादी को आये दिन उक्त रेकर्ड को लेकर अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा सरकारी एवं गैरकसरकारी योजनाओ से फायदा नहीं उठा पा रहे है न ही ऋण आदि व किसानकार्ड बन रहा है, यदि वादी का सही व वास्तविक नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही किया जाता है। तो वादी को भविष्य में भी कई प्रकार की कठिनाईयो का सामना करना पडेगा इसलिए वादी के पास न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा व रेकर्ड दुरुस्ती का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। प्रतिवादी संख्या 1 राज्य सरकार का प्रतिनिधि है एवं तहसीलदार जैतारण लेण्ड होल्डर है जो घोषणा के वादपत्र मे आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। बिनाय वाद दिनांक 03/06/2020 को पटवारी हल्का से सम्पर्क करने एवं उसके द्वारा न्यायालय से आदेश लाने बाबत् कथन करनें एवं न्यायालय आदेश से ही रेकर्ड दुरूस्त करनें एवं उक्त रोंग एन्ट्री हटाने का कथन करनें पर बमुकाम बिरोल तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होनें से श्रीमान् के समक्ष पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस् वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण की ओर रिपोर्ट पेश की गई जो सा.मि. है। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण ने अपनी रिपोर्ट पत्र क्रमांक/भू.अ./2021/2231 दिनांक 14.07.2021 में कथन किया कि तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा अनुसार वर्तमान जमाबन्दी अनुसार मौजा बिरोल के [illegible] 4, [illegible]6, 43, 48, 47 में खातेदार दौलतसिंह पुत्र बाघसिंह दर्ज है। यह आरा[illegible] में वादी के दादा अमानसिंह के भाई बाघ के नाम दर्ज थी, जो [illegible] दिनांक 09.12.1982 द्वारा दौलतसिंह पुत्र बाघसिंह दर्ज की [illegible] का पुत्र है। नामान्तरण संख्या 405 बिना किसी विधिक दस्तावेजात् से किया गया। [illegible] का नाम सरकारी दस्तावेज यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड में जयकरण सिंह पुत्र नाथूसिंह दर्ज है। जो सही परन्तु उपरोक्त खसरों की भूमि में बाघसिंह के नाम दर्ज थी, जो कि गलत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:46:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

1. वादपत्र के अनुसार वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बिरोल पटवार हल्का बिरोल तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में खसरा नम्बर 11 रकबा 16-16 बीघा किस्म बारानी दोयम, ख0नं0 13 रकबा 9-09 बीघा किस्म बारानी दोयम, ख0नं0 14 रकबा 07-03 बीघा किस्म बारानी दोयम, ख0नं0 15 रकबा 07-02 बीघा किस्म बारानी दोयम, ख0नं0 43 रकबा 05-06 बीघा किस्म बारानी दोयम, ख0नं0 48 रकबा 18-01 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 6 कुल रकबा 63 बीघा 17 बिस्वा व ख0नं0 47 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा की कृषि भूमि में वादी बतौर खातेदार दर्ज है लेकिन भू अभिलेख में वादी का नाम दौलतसिंह पुत्र बाघसिंह दर्ज कर दिया गया है जो कि एक अशुद्ध प्रविष्टि है। वादी का सही एवं वास्तविक नाम जयकरण सिंह पुत्र नाथूसिंह है। जो दस्तावेजों से साबित होता है। अतः वादग्रस्त आराजी में वादी का बतौर खातेदार दर्ज अशुद्ध नाम दौलतसिंह पुत्र बाघसिंह को विलोपित करते हुये सही एवं वास्तविक दस्तावेजी नाम जयकरण पुत्र नाथूसिंह दर्ज कर भू अभिलेखों को शुद्ध किया जावें तथा इसी अनुरूप बहक वादी वादपत्र डिक्री फरमाया जावें।

2. तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा अनुसार वर्तमान जमाबन्दी अनुसार मौजा बिरोल के खसरा संख्या 11, 13, 14, 15, 43, 48, 47 में खातेदार दौलतसिंह पुत्र बाघसिंह दर्ज है। यह आराजी आरम्भ में वादी के दादा अमानसिंह के भाई बाघ के नाम दर्ज थी, जो नामान्तरण संख्या 405 दिनांक 09.12.1982 द्वारा दौलतसिंह पुत्र बाघसिंह दर्ज की गई जबकि वादी नाथूसिंह का पुत्र है। नामान्तरण संख्या 405 बिना किसी विधिक दस्तावेजात् से किया गया।

3. वादी जयकरण सिंह द्वारा स्वयं के साक्ष्य शपथ पत्र PW-1 प्रस्तुत कर साक्ष्य वादी में वादी द्वारा शपथपत्र पर वादपत्र में अंकित कथनों, तथ्यों एवं वांच्छित अनुतोष का समर्थन करते हुये यह बयान किया कि वादी का वादग्रस्त आराजी पर निर्बाध कब्जा काश्त है। वादग्रस्त आराजी पूर्व में मुझ वादी के पिता नाथूसिंह एवं उनके भाई जसवन्तसिंह तथा मुझ दादा अमान सिंह के भाई हमीरसिंह व बाघसिंह की पत्नीयां क्रमशः जड़ावकंवर पत्नी हमीरसिंह व बख्तावरकंवर पत्नी बाघसिंह के नाम दर्ज थी। वादी के दादा अमानसिंह के भाई हमीरसिंह व बाघसिंह के नाआलौद फौत हो जाने से मुझ वादी के पिता नाथूसिंह एवं भाई जसवन्त सिंह ने दिनांक 18.10.1979 को पारिवारिक सेटलमेन्ट कर जड़ावकंवर पत्नी हमीरसिंह की 1/3वें हक हिस्से की भूमि मुझ [illegible] जसवन्तसिंह के हक हिस्से में रखी तथा तथा बख्तावर कंवर पत्नी ब[illegible]ह [illegible] /3वें हक हिस्से की उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण रकबा की भूमि [illegible] गयी तथा पारिवारिक सेटलमेन्ट के आधार पर नामान्तरण [illegible] 09.12.1982 को भरा गया उस समय सहवन से मुझ वादी का घरेलू बोलच[illegible]का नाम दौलतसिंह पुत्र बाघसिंह दर्ज कर दिया गया था जबकि वादी का सही एवं वास्तविक दस्तावेजी नाम जयकरण पुत्र नाथूसिंह है। अतः उक्त त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को शुद्ध किया जावे। वादी द्वारा प्रदर्श-1 व 2 जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076, प्रदर्श-3 जमाबन्दी सम्वत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2022.01.24 16:46:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

2036-2039, प्रदर्श-4ए आधार कार्ड की फोटोप्रति, प्रदर्श-5ए वादी के पिता के नाम राशनकार्ड की फोटोप्रति, प्रदर्श-6ए वादी के नाम के राशनकार्ड की फोटोप्रति, प्रदर्श-7ए वादी के परिवार का जनआधार कार्ड, प्रदर्श-8ए वादी का पैनकार्ड, प्रदर्श-9ए वादी का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र प्रस्तुत किये जिनमें वादी का नाम जयकरण सिंह पुत्र नाथूसिंह अंकित है।

4. प्रदर्श-1 व 2 जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 ग्राम बिरोल के अनुसार वादग्रस्त आराजी में दौलतसिंह पुत्र बाघसिंह बतौर खातेदार दर्ज है। प्रदर्श-3 जमाबन्दी 2036-2039 ग्राम बिरोल में वादग्रस्त आराजी में बख्तावरकंवर बेवा बाघसिंह हिस्सा 1/6, जड़ाव कंवर बेवा हमीरसिंह हिस्सा 1/6, नाथूसिंह, जसवंतसिंह पिता अमानसिंह हिस्सा 2/3 दर्ज है। इसी जमाबन्दी में अंकित नोट के अनुसार नामान्तरण संख्या 405 दिनांक 09.12.1982 की प्रविष्टि में अंकित विशिष्टियों के अनुसार वादग्रस्त आराजी नाथूसिंह वल्द अमानसिंह, दौलतसिंह पुत्र बाघसिंह, जसवन्तसिंह पुत्र अमानसिंह, व देवेन्द्रसिंह पुत्र जसवन्तसिंह के मध्य पारिवारिक बन्टवाड़ा अनुसार पृथक खाता दर्ज की गई।

5. पत्रावली पर उपलब्ध 07 रुपये के अपंजीकृत स्टाम्प पत्र पर निष्पादित लिखत याददास्त व विवरण तकास्मा की फोटो प्रति के विवरण के अनुसार अमानसिंह, बाघसिंह व हमीरसिंह तीनों सगे भाई थे। जिनमें से बाघसिंह व हमीरसिंह लाऔलाद फौत हुये तथा अमान सिंह के दो संतान नाथूसिंह व जसवन्त सिंह है। बख्तावर कंवर जो बाघसिंह की बेवा थी, द्वारा नाथूसिंह के नाबालिग पुत्र दौलतसिंह को गोद लिया जाना अंकित किया है। चूंकि पंजीकृत गोदनामा एवं गोदनामा से सम्बन्धि कोई अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं है लेकिन इतना स्पष्ट है कि नाथूसिंह के दो पुत्र है एक का नाम जयकरण सिंह एवं दूसरे पुत्र का नाम रुघनाथ सिंह, चूंकि रुघनाथ सिंह नाथूसिंह के बतौर वारिसान भू अभिलेख में दर्ज है परन्तु है जयकरण सिंह का कहीं पर भी नाम दर्ज नहीं है। वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में दर्ज खातेदार दौलतसिंह पुत्र बाघसिंह वस्तुतः जयकरण सिंह पुत्र नाथूसिंह है, जिसके बोलचाल के नाम दौलतसिंह के नाम से बाघसिंह की बेवा बख्तावर कंवर जो नाऔलाद थी, के हक हिस्से की आराजी पारिवारिक समझौता के आधार पर नामान्तरण संख्या 405 दिनांक 09.12.1982 के द्वारा दर्ज की गई तथा इसी दौरान दौलतसिंह के पिता का नाम बाघसिंह दर्ज कर दिया गया जबकि वादी के जैविक पिता का नाम नाथूसिंह है तथा वादी को नाथूसिंह के गोदपुत्र की हैसियत से वादग्रस्त आराजी प्राप्त नहीं होकर पारिवारिक समझौते के आधार पर प्राप्त हुई है। अतः वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में दर्ज दौलतसिंह पुत्र बाघसिंह की प्रविष्टि वस्तुतः एक त्रुटि है। वादी का सही एवं वास्तविक नाम जयकरण सिंह पुत्र नाथूसिंह है तथा वादग्रस्त [illegible] में [illegible] प्रविष्ट दौलतसिंह पुत्र बाघसिंह के स्थान पर जयकरण सिंह पुत्र नाथूसिंह द[illegible] किया [illegible]ना विधि संगत एवं उचित होगा। वादी द्वारा प्रस्तुत वादी के पिता नाथूसिंह के परि[illegible] राशनकार्ड, स्वयं के परिवार राशन कार्ड, स्वयं का आधार कार्ड, ज[illegible] कार्ड [illegible] पत्र से भी वादी के कथनों की पुष्टि होती है जिनमें वादी का सही एवं वास्तविक नाम [illegible]यकरण सिंह है तथा वादी बाघसिंह के स्थान पर नाथूसिंह का पुत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:46:55 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह स्पष्ट अभिमत है कि उपलब्ध दस्तावेजात् से यह स्पष्ट होता हैं कि वादी जयकरण सिंह पुत्र नाथूसिंह एवं वादग्रस्त

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

आराजी में बतौर खातेदार दर्ज दौलतसिंह पुत्र बाघसिंह वस्तुतः एक ही व्यक्ति है तथा खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम दौलतसिंह पुत्र बाघसिंह न होकर जयकरण सिंह पुत्र नाथूसिंह है। प्रत्येक खातेदार का यह प्राथमिक अधिकार होता है कि उससे सम्बन्धित भू-अभिलेख की समस्त प्रविष्टियां त्रुटि रहित एवं शुद्ध हो। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बिरोल पटवार हल्का बिरोल तहसील जैतारण जिला पाली राज0 के खसरा नम्बर 11 रकबा 16-16 बीघा किस्म बारानी दोयम, ख0नं0 13 रकबा 9-09 बीघा किस्म बारानी दोयम, ख0नं0 14 रकबा 07-03 बीघा किस्म बारानी दोयम, ख0नं0 15 रकबा 07-02 बीघा किस्म बारानी दोयम, ख0नं0 43 रकबा 05-06 बीघा किस्म बारानी दोयम, ख0नं0 48 रकबा 18-01 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 6 कुल रकबा 63 बीघा 17 बिस्वा व ख0नं0 47 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा में बतौर खातेदार दर्ज वादी जयकरण सिंह पुत्र नाथूसिंह के त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि ***"दौलतसिंह पुत्र बाघसिंह"*** को विलोपित करते हुये क्रमशः इनके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम ***"जयकरण सिंह पुत्र नाथूसिंह"*** दर्ज करते हुये इनके हिस्से तक वादी जयकरण सिंह पुत्र नाथूसिंह को खातेदार घोषित किया जाता है, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुरूप भू अभिलेख में अमल दरामद करते हुये भू-अभिलेख को अद्यतन एवं परिशुद्ध करें। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 02/12/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:46:55 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदर्मे इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- **उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण**

बईजलास :- **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

-: वादी :-

1. जयकरणसिंह पुत्र नाथूसिंह
जाति- राजपूत, निवासी-
बिरोल, तहसील- जैतारण
जिला- पाली(राज0)

बनाम

-: प्रतिवादीगण :-

1. तहसीलदार जैतारण जिला- पाली
(राज)

__राजस्व **वाद** बाबत् **घोषणा** एवं दुरूस्ती__
__अन्तर्गत **धारा 88 राजस्थान काश्तकारी**__
__अधिनियम, **1955** एवं **धारा 136** भू **राजस्व अधिनियम 1956**__

मु0न0 :रा0वा0 स0: 75/2020
निर्णय दिनांक :- 02.12.2021

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-....... व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी, श्री किशोर कुमार कुमावत, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व सरकार पैरोकार राज, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सत्वान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बिरोल हल्का बिरोल तहसील जैतारण जिला पाली राज0 के खसरा [illegible] रकबा 16-16 बीघा किस्म बारानी दोयम, ख0नं0 13 रकबा 9-09 बीघा [illegible] दोयम, ख0नं0 14 रकबा 07-03 बीघा किस्म बारानी दोयम, ख0नं0 1[illegible] रकबा 07-02 बीघा किस्म बारानी दोयम, ख0नं0 43 रकबा 05-06 बीघा किस्म बारानी दोयम, ख0नं0 48 रकबा 18-01 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 6 कुल रकबा 63 बीघा 17 बिस्वा व ख0नं0 47 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा में बतौर खातेदार दर्ज वादी जयकरण सिंह पुत्र नाथूसिंह के त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि ***"दौलतसिंह पुत्र बाघसिंह"*** को विलोपित करते हुये क्रमशः इनके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम ***"जयकरण सिंह पुत्र नाथूसिंह"*** दर्ज करते हुये इनके हिस्से तक वादी जयकरण सिंह पुत्र नाथूसिंह को बतौर खातेदार घोषित किया जाता है, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुरूप भू अभिलेख में अमल दरामद करते हुये भू अभिलेख को अद्यतन एवं परिशुद्ध करें। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:46:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ..–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 02/12/2021 को जारी किया गया।

मुताबिक

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील	/	
महनताना वकील	/		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर	02	00	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/		मुत्फर्रिक		
मिजानः–	05	00	मिजानः–	— Nil —	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:46:55 IST
Reason: SelfAttested